म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स,किसान भवन,जेल रोड, भोपाल

क/मंडी/प्रां./विविध/45/46/पार्ट/MPWLC/2392 भोपाल,दि. 02/01/2018

प्रति,

सचिव (समस्त)
कृषि उपज मण्डी समिति
..............................जिला......................(म.प्र.)

विषय :— प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण में विद्यमान संरचनाओं को किराये पर आवंटन के संबध मे।

—000—

अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी समिति शुजालपुर ने पत्र दिनांक 07.11.2017 से मण्डी प्रांगण में निर्मित गोदामों को प्रायवेट संस्था/अनुज्ञप्तिधारी/प्रसंस्करणकर्ता को 03 माह/06 माह की अवधि के लिये किराये पर आवंटन किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण मे विद्यमान संरचनाओं को अनुज्ञप्तिधारी/प्रसस्कंरणकर्ता को किराये के आधार पर आवंटन किये जाने के संबध में म.प्र.कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं सरंचना का आवंटन) नियम, 2009 के नियम 18 (5) में किराये के लिये करार अधिकतम 03 वर्ष की कालावधि के लिये किया जावेगा तथा नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। गोदाम किराये हेतु न्यूनतम अवधि 03 माह/06 माह की अवधि का उल्लेख नही है।

मण्डी समिति स्वविवेक से विद्यमान संरचनाओं को न्यूनतम 03 माह तक के लिये किराये पर दिये जाने के संबध में अनुज्ञप्तिधारी/प्रंसस्करणकर्ता एवं भण्डारपाल को म0प्र0 कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं सरंचना का आवंटन) नियम, 2009 के विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर सकती है। कृषि उपज का भण्डारण करने पर भण्डारण शुल्क नियमानुसार देय होगा।

प्रबन्ध संचालक, सह—आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क/मंडी/प्रांगण/विविध/45/46/पार्ट/MPWLC/2393 भोपाल,दि. 02/01/2018

प्रतिलिपि,

1. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय.......................... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रबंध संचालक सह—आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल